Vr - No 89 Dt 24/3/22

**Bill Type : Normal**

nt Date - 22-3-2022
ansaction ID - WO380142290322100

E-Sign

आकस्मिक देयक प्रपत्र
वित्तीय नियम संग्रह खंड पाँच भाग -१
(देंखे अध्याय - आठ , प्रपत्र 178, 180, 182, 183)

1- जनपद का नाम : पिथौरागढ़
2- कोषागार का नाम : बेरीनाग
...की अवधि कब से ............................... कब तक

| | | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 3 |

कोषागार का कोड

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3 | 8 | 0 | 1 |

की क्रम संख्या

| | |
|---|---|
| 3 | 1 |

संख्या (कोषागार द्वारा भरा जाना है) | 0 | वाउचर दिनांक | - |

...भारित : मतदेय

**लेखाशीर्षक सम्बन्धी विवरण**

| | |
|---|---|
| मुख्य लेखाशीर्षक - | (5054)सड़क तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय |
| उप मुख्य लेखा शीर्षक - | (04)District and other Roads |
| लघुशीर्षक - | (337)सडक निर्माण कार्य |
| उपशीर्षक - | (03)राज्य सेक्टर |
| ब्योरेवार शीर्षक - | (04)एन0पी0बी0 का भुगतान (5054-04-800-03-07 से स्थानान्तरित ) |

लेखाशीर्षक सम्बन्धी 13 अंको का कोड (4 मुख्य लेखाशीर्षक + 2 उपमुख्य शीर्षक +3 लघुशीर्षक+2 उपशीर्षक+2 ब्योरेवार शीर्षक)

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 0 | 5 | 4 | 0 | 4 | 3 | 3 | 7 | 0 | 3 | 0 | 4 | 5 | 4 |

आहरण वितरण अधिकारी का पदनाम : अधिशासी अभियंता अस्थाई विभाग पी डब्लू डी बेरीनाग
आहरण वितरण अधिकारी का कोड

| | | | |
|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 2 | 9 |

12- अधिष्ठान का नाम : अधिशासी अभियंता अस्थाई विभाग पी डब्लू डी बेरीनाग
13- अनुदान संख्या :(022)लोक निर्माण कार्य Connect अनुदान संख्या
14- सोर्स कोड :1
15- सेक्टर कोड :2
16- स्वीकृति आदेश (यदि आवश्यक हो, प्रतिलिपि संलग्न करें)

**बजट की वर्तमान स्थिति**

| मानक मद का नाम व कोड | आवंटित कुल बजट | इस बिल को सम्मिलित करते हुए | अवशेष बजट |
|---|---|---|---|
| 54-भूमि क्रय | 35909536 | 35909536 | 0 |

**भुगतान का विवरण**

| मानक मद का कोड एवं नाम | धनराशि |
|---|---|
| 54-भूमि क्रय | 50,35,695 |
| **66 देयक की सकल धनराशि (अग्रिम समायोजन के बाद)** | **50,35,695** |

ONLY FOR OFFICIAL USE

**कटौतियों का कोड सहित विवरण**

| | |
|---|---|
| 77- सम्पूर्ण कटौतियां | - |
| 99 शुद्ध देय धनराशि 66-77 | 50,35,695 |

प्रमाणित किया जाता है कि इस देयक में प्रस्तुत किया गया दावा सही एवं नियमानुसार देय है तथा पूर्व में आहरित नहीं किया गया है। संगत नियमों एवं आदेशों की औपचारिकतायें पूर्ण करने के बाद देयक प्रथमबार प्रस्तुत किया जा रहा है। देयक के अवयवों की प्राप्ति स्वीकार की जाती है।

आहरण वितरण अधिकारी के हस्ताक्षर

खण्डीय लेखाकार
अस्थाई खण्ड लो० नि० वि०
बेरीनाग (पिथौरागढ़)

अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग
बेरीनाग (पिथौरागढ़)

नियंत्रक/प्रतिहस्ताक्षरकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर
(केवल काउन्टरसाइन्ड कंटीजेंसी के प्रकरण में लागू होगा)
(पदनाम एवं कार्यालय की मुहर)

कोषागार/उपकोषागारों के प्रयोग हेतु

रू0 50,35,695 (Rupees Fifty Lacs Thirty Five Thousand Six Hundred Ninety Five Only) भुगतान हेतु पारित किया जाता है।
...रू0 -
...राशि रू0 50,35,695

कोषाधिकारी/उपकोषाधिकारी के हस्ताक्षर

| Beneficiary | Account Type | IFSC CODE | Account No | Gross Amount | Total Deduction | Advance Amount | Net Amount |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01422903221003 ttaranchal Campa | Saving | UBIN0903710 | 150896138955547 | 5035695 | 0 | 0 | 5035695 |
| | | | | **5035695** | **0** | **0** | **5035695** |

अधिशासी अभियन्ता
[illegible] खण्ड, लोक निर्माण विभाग
[illegible] (उत्तराखण्ड)

# भुगतान आदेश

कार्यालय के अन्तर्गत सम्पादित कराये जा रहे निम्नलिखित योजनाओं के सापेक्ष प्राप्त देयक की वित्तीय स्वीकृति एतद्द्वारा प्रदान की जाती है। वर्तमान में प्रस्तुत उक्त भुगतान की राशि निविदा /एम0ओ0यू0 में निहित शर्तों के अनुरूप है।

| योजना का नाम | सम्बन्धित ठेकेदार / फर्म जिससे निविदा स्वीकृत हुई है। | योजना हेतु स्वीकृत धनराशि (रू0 में) | अनुबन्ध की धनराशि (रू0 में) + जी0एस0टी0 की राशि अतिरिक्त होगी | पूर्व में किये गये भुगतान की राशि (रू0 में) | शेष धनराशि (रू0 में) | देयक संख्या | वर्तमान में पारित धनराशि जी0एस0टी0 सहित (रू0 में) | शेष धनराशि जो भुगतान किया जाना है। (रू0 में) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| [illegible] योजना के अन्तर्गत [illegible] [illegible] | [illegible] | 5035695.00 | 5035695.00 | — | — | I&Final | 5035695.00 | |

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, अस्थाई खण्ड लो0नि0वि0, बेरीनाग

पत्रांक 227 / [illegible]   दिनांक 22/03/2022

प्रतिलिपि – 1– सम्बन्धित ठेकेदार
2– देयक हेतु
3– उपकोषाधिकारी बेरीनाग।

अधिशासी अभियन्ता,
अस्थाई खण्ड लो0नि0वि0 बेरीनाग

Passed for Rs 50,35,695=00

ad of Account Bhatgara Fadiyali Nayal Paryam/R

FORM No. - 28 HAND RECEIPT

A.E. (See Chap XIV, para 440, 446 and 460)

सहायक अभियन्ता अ० ख० लो० नि० वि० बेरीनाग (पिथौरागढ़)

h-book Voucher No. 89 dt 24/3/22 dated

Paid by Cheque/Cash Rupees (50,35,695= to C.A.M.P.A

Paid by me

EIVED from the E.E. Ty. DIV. in charge of P.W.D. Berinag

Division A.E. Division the sum of the

Fifty Lakh thirty five thousand six hundred

e of work or purpose for which is made Ninety Five only

R.T. 50 144/25 budget (N.P.V.)/2021-22

[illegible]-22 (Amount in Vernacular) दि० 28/2/22

C/S for Rs 5035695-00

WO 3801.42290 [illegible]

24-22-3-22 Rs ~5035695=

ess

Signature of Payees

E. E.

अधिशासी अभियन्ता अस्थाई खण्ड, लो०नि०वि० बेरीनाग (पिथौरागढ़)

COPY

Union Bank of India

Corporation

N for CAMPA Funds

| | |
|---|---|
| | TY DIV PWD BERINAG |
| | 8955547 |
| | JCP/06/92/2020/FC |
| | ARANCHAL |
| | D Berinag Pithoragarh |
| | 5694.4/- |

ty-Five Thousand Six Hundred

as per following

| Beneficiary Name: | UTTARANCHAL CAMPA |
|---|---|
| IFSC Code: | UBIN0903710 |
| Pay to Account No. | 150896138955547<br>Valid only for this challan amount. |
| Bank Name & Address: | Union Bank Of India Lodhi Complex Branch, Block 11,CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003 |

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only


| Beneficiary Name: | UTTARANCHAL CAMPA |
|---|---|
| IFSC Code: | UBIN0903710 |
| Pay to Account No. | 150896138955547<br>Valid only for this challan amount. |
| Bank Name & Address: | Union Bank Of India Lodhi Complex Branch, Block 11,CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003 |

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only


After making successful payment, User Agencies may send a line of confirmation through Email: helpdeskcampa@corpbank.co.in

Note: After making the required payment through challan, if the payment status has not been updated even after 7 working days, then kindly mail a copy of your challan with transaction date to Email: cb0371@unionbankofindia.com

पावती

# कार्यालय, अधिशासी अभियन्ता
## अस्थाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग,बेरीनाग

फोन नं0– 05964–244117 फैक्स नं0–05964–244622 ई–मेल–eepwdberinag@rediffmail.com

पत्रांक 1635 / 27सी दिनांक 28 /09 /2022

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
पिथौरागढ़ वन प्रभाग पिथौरागढ़।

विषयः– जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र गंगोलीहाट के अन्तर्गत भाटगाड़ा फडियाली नायल पम्या मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.60 हे0 वनभूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

संदर्भ :– भारत सरकार पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय देहरादून का पत्रांक 8बी/यू0सी0पी0 /06/92/2020/एफ0सी0/750 दि 22.09.2021(प्रति संलग्न)

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित सैद्धान्तिक स्वीकृति के आदेश के कम में सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तो की अनुपालन आख्या बिन्दुवार निम्नानुसार प्रेषित की जा रही है।

| क0 स0 | सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्त (प्रश्न) | अनुपालन आख्या (उत्तर) |
|---|---|---|
| 1 | वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी। | मान्य है। |
| 2 | परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभकिरण को सोपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जाएगी। | मान्य है। |
| 3 | **प्रतिपूरक वनीकरण**<br>(क) वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर 7.2हे0 सिविल सोयम भूमि ग्राम काकड़ा खसरा संख्या 157,159,160,322,323,393,1034,1038,1104,1129,1170,1171,1305,1342, 1395,1399,1375,436,1485,1578,1580,1581में प्रतिपूरक वनीकरण किया जाएगा जहां तक व्यावहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजातियों की एकल कृषि से बचें। | मान्य है। |
| | (ख)गैर वानिकी भूमि को राज्य वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित एवं रूपान्तरित किया जाएगा। भूमि के हस्तान्तरण नामान्तरण एवं Notification करने के पश्चात् ही इस कायालय द्वारा विधिवत् स्वीकृति प्रदान की जायेंगी। guideline para 2.4 (i) के अनुसार ऐसे क्षेत्र जो वन विभाग के स्वामित्व से बाहर है एवं प्रतिपूरक वनीकरण हेतु विभिन्न प्रस्तावों में प्रस्तुत किये गये हैं, को वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात भारतीय वन अधनियिम, 1927 के अर्न्तगत विधिवत स्वीकृति से पूर्व आरक्षित / संरक्षित वन घोषित किया जाना आवश्यक है। | शर्त संख्या 3 के अनुपालन में जिलाधिकारी पिथौरागढ़ के आदेश संख्या 2594/सात–66/2021–22 दिनांक 26.08.2022 द्वारा 7.200 है0 राज्य भूमि क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु वनविभाग के नाम हस्तान्तरण एवं नामान्तरण कर दी गयी है। आदेश की हार्ड कापी 5–5 प्रतियों में संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। उक्त भूमि का दाखिल खारिज वनविभाग के नाम दर्ज कर लिया गया है। दाखिल खारिज की हार्ड कापी 5–5 प्रतियों में प्रेषित की जा रही है। उक्त अनुपालपन आख्या आन लाईन अपलोड कर दी गयी है। |
| | (ग) वन मंडल अधिकारी द्वारा अतिरिक्त प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया जायेगा की उक्त सी.ए. क्षेत्र पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत् वृक्षारोपण कार्य नहीं किया गया है। | मान्य है। |

29-9-22

पिथौरागढ़ वन प्रभाग
पिथौरागढ़

| | | |
|---|---|---|
| | (घ)The KML files of the area to be diverted, the CA areas,the proposed SMS work proposed catch ment Area Treatment area and the WLMP area Shall be aploaded the e- green watch portal with all requisite details before issuing working permission towords liner project or submitting compliance report for seeking Stage-ii approval,as the case may be. | मान्य है। |
| 4 | प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर यदि आवश्यक हो, तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तंभन की लागत परियोजना प्राधकिरण द्वारा अग्रमि रूप से विभाग के पास जमा की जाएगी। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षो तक अनुरक्षति किया जाएगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यो के लिए प्रत्याशित लागत वृद्धि हेतु उपयुक्त प्रावधान शामिल किये जा सकते हैं। | शर्त संख्या–4 के अनुपालन में क्षतिपूर्ती वृक्षारोपण की धनराशि बाऊचर संख्या 89 दिनांक 24–03–2022(आई0डी0W038014229 03221001 दिनांक 22–03–2022) के द्वारा वनविभाग के पक्ष में जमा कर दी गयी है। बाऊचर की हार्ड कापी 5–5 प्रतियों में संलग्न कर प्रेषित की जा रहीहै।उक्त आख्या आनलाईन अपलोड कर दी गयी है। |
| 5 | शुद्ध वर्तमान मूल्य–<br>(क) इस सबंध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP (C) संख्या 202/1995 में IA नंबर 556 दिनांक 30.10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5–1/1998–एफ.सी. (Pr- 2) दिनांक 18.09.2003, 5–2/2006– एफ. सी. दिनांक 03.10.2006 एवं 5–3/2007–एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 में जारी दिशा–निर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 3.6 हे० वन क्षेत्र के प्रत्यावतन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूल करेगी। | शर्त संख्या–5 के अनुपालन में एन0पी0वी0 की धनराशि बाऊचर संख्या89दिनांक24–03–2022(आई0डी0W03801422903221001 दिनांक 22–03–2022) के द्वारा वनविभाग के पक्ष में जमा कर दी गयी है। बाऊचर की हार्ड कापी 5–5 प्रतियों में संलग्न कर प्रेषित की जा रहीहै।उक्त आख्या आनलाईन अपलोड कर दी गयी है। |
| | (ख) विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतरिक्ति राशि यदि कोई हो, जो अंतमि रूप देने के बाद देय हो को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जायेगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथपत्र प्रस्तुत करेगा। | मान्य है। |
| 6 | प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ो की कटाई को न्यूनतम रखेगा एवं प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या प्रस्ताव के अनुसार 105 trees से अधिक नहीं होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जाएगी। | मान्य है। |
| 7 | परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई–पोटल (https://parivesh-nic-in) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानान्तरित/जमा किये जाएंगे। | मान्य है। |
| 8 | गाईडलाईन्स में दिये गए दिशा–निर्देशों के पैरा 11.2 के अनुसार राज्य सरकार विधिवित् स्वीकृति से पूर्व वृक्षों के कटान अथवा कार्य प्रारंभ करने के लिए पारित किये गये आदेश की प्रति इस कार्यालय को प्रेषित करेगी। साथ ही राज्य सरकार इसकी कड़ाई से निगरानी करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि इस तरह की अनुमति जारी करने की दिनांक से एक वर्ष की समाप्ति तक आदेश में उल्लेखित कार्य के अलावा कोई और गतिविधि नहीं की जायेगी। | मान्य है। |
| 9 | एफआरए, 2006 का पूर्ण अनुपालन संबधित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा। | मान्य है। |
| 10 | प्रयोक्ता अभिकरण आईआरसी मानदंडों के अनुसार सड़क के दोनों किनारों पर पौधों की संख्या बढाएगा। | मान्य है। |
| 11 | संरक्षति क्षेत्रों /वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति | मान्य है। |

27 ए.
06/09/2022

## आदेश

भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय देहरादून के पत्र संख्या–8बी/यू.सी.पी./06/92/2020/एफ.सी./750 दिनांक 22.09.2021 के द्वारा जनपद पिथौरागढ़ के अन्तर्गत गंगोलीहाट में भाटगाड़ा–फडियाली–नायल–पभ्या तक मोटर मार्ग निर्माण में ली जा रही 3.600 हे0 वन भूमि के बदले दोगुनी 7.200 हे0 राज्य भूमि वन विभाग के नाम हस्तान्तरण/नामान्तरण की शर्त पर वन भूमि हस्तान्तरण की सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गयी है।

राजस्व अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–2173/XVIII(II)/2012–18 (120)/2010 दिनांक 17.12.2012 में निहित प्राविधानों के अनुसार जनपद पिथौरागढ़ के अन्तर्गत गंगोलीहाट में भाटगाड़ा–फडियाली–नायल–पभ्या तक मोटर मार्ग निर्माण में ली जा रही 3.600 है0 वन भूमि के बदले क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु ग्राम काकड़ा पट्टी गणाई तहसील गणाई गंगोली के गैर जमींदारी विनाश खतौनी खाता संख्या–24 श्रेणी–10(4) बंजर नाकाबिल आवाद के खेत नम्बर 157 रकवा 0.300 हे0, 159 रकवा 0.305 हे0, 160 रकवा 0.190 हे0, 322 मध्ये रकवा 0.800 हे0, 323 मध्ये रकवा 2.040 हे0, 393 रकवा 0.255 हे0, 436 रकवा 0.130 हे0, 1034 रकवा 0.165 हे0, 1038 रकवा 0.121 हे0, 1104 रकवा 0.101 हे0, 1129 रकवा 0.265 हे0, 1170 रकवा 0.190 हे0, 1171 मध्ये रकवा 0.120 हे0, 1305 रकवा 0.170 हे0, 1342 मध्ये रकवा 0.153 हे0, 1375 रकवा 0.650 हे0, 1395 रकवा 0.315 हे0, 1399 रकवा 0.130 हे0, 1485 मध्ये रकवा 0.265 हे0, 1578 रकवा 0.230 हे0, 1580 रकवा 0.135 हे0, 1581 मध्ये रकवा 0.170 हे0 कुल 22 खेतों की 7.200 हे0 सिविल भूमि वन विभाग के नाम हस्तान्तरण/नामान्तरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

तहसीलदार, गणाई गंगोली स्वीकृत भूमि का हस्तान्तरण/नामान्तरण वन विभाग के नाम करना सुनिश्चित करें।

**दिनांक अगस्त, 26 , 2022**

(डॉ0 आशीष चौहान)
जिलाधिकारी, पिथौरागढ़।

प्रो0/अमीन

**कार्यालय जिलाधिकारी पिथौरागढ़।**

संख्या– 2594/सात– 66 /2021–22 दिनांक अगस्त, 26 , 2022

07/09/022

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. प्रभागीय वनाधिकारी पिथौरागढ़।
2. प्रभारी अधिकारी वन, जिला कार्यालय पिथौरागढ़।
3. उप जिलाधिकारी गंगोलीहाट।
4. तहसीलदार गणाईगंगोली को प्रश्नगत भूमि के खसरे की प्रति इस निर्देश के साथ प्रेषित कि नियमानुसार स्वीकृत भूमि का वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण/नामान्तरण सुनिश्चित करें।
5. अधिशासी अभियन्ता, अस्थाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग, बेरीनाग।

(डॉ0 आशीष चौहान)
जिलाधिकारी, पिथौरागढ़।

OLC

ग्राम - कांकड़ा    तहसील - गणाई गंगोली    नकल उद्धरण खतौनी (गै. ज. वि.)

पट्टी - गणाई    जनपद - पिथौरागढ़    श्रेणी - 10(4) बंजर नाकाबिल आबाद

| खाता संख्या | खातेदार का नाम | भौमिक अधिकार का वर्ग | खसरा संख्या | रकबा (है०) | लगान | आदेशों का विवरण |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 - 12 |
| २4 | बंजर भिड़ा | — हाल श्रेणी-5 (क) — | 20<br>24<br>45<br>54<br>84<br>88<br>93<br>↑ क्रमशः ↓<br>1551<br>1578<br>1580<br>1581 | 0.004<br>0.004<br>0.024<br>0.103<br>0.083<br>0.008<br>0.020<br>↑ क्रमशः ↓<br>0.005<br>0.023<br>0.135<br>0.170 | | भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय देहरादून के पत्र संख्या-8बी/यू.सी.पी./06/32/2020/एफ.सी./1750 दिनांक 22.09.2021 के द्वारा जनपद पिथौरागढ़ के अन्तर्गत गंगोलीहाट में भाटगाड़ा-चाईंमाली-नापल-पब्या तक मोटर मार्ग में ली जा रही 3.600 है० वन भूमि के बदले दोगुनी 7.200 है० राज्य भूमि वन विभाग के नाम हस्तान्तरण/नामान्तरण किये जाने पर वन भूमि हस्तान्तरण की सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गयी है।<br>राजस्व अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-2173/XVIII(II)/2012-18(120)/2002 दिनांक 17.12.2012 में निहित प्रावधानों के अनुसार जनपद पिथौरागढ़ के अन्तर्गत गंगोलीहाट में भाटगड़ा-चाईंमाली-नापल-पब्या तक मोटर मार्ग निर्माण में ली जा रही 3.600 है० वन भूमि के बदले क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु ग्राम कांकड़ा पट्टी गणाई तहसील गणाई गंगोली के गैर जमींदारी विनाश खतौनी खाता संख्या-24 श्रेणी-10(4) बंजर नाकाबिल आबाद के खेत नम्बर 157 रकबा 0.300 है०, 159 रकबा 0.305 है०, 160 रकबा 0.120 है०, 322 मध्ये रकबा 0.200 है०, 323 मध्ये रकबा 2.040 है०, 392 रकबा 0.255 है०, 436 रकबा 0.130 है०, 1034 रकबा 0.165 है०, 1038 रकबा 0.121 है०, 1104 रकबा 0.101 है०, 1123 रकबा 0.265 है०, 1170 रकबा 0.190 है०, 1171 मध्ये रकबा 0.120 है०, 1305 रकबा 0.170 है०, 1342 मध्ये रकबा 0.153 है०, 1375 रकबा 0.650 है०, 1395 रकबा 0.315 है०, 1399 रकबा 0.130 है०, 1405 मध्ये रकबा 0.265 है०, 1578 रकबा 0.230 है०, 1580 रकबा 0.135 है०, 1581 मध्ये रकबा 0.170 है० कुल 22 खेतों की 7.200 है० सिविल भूमि वन विभाग के नाम हस्तान्तरण/नामान्तरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है एवं जिलाधिकारी पिथौरागढ़ के आदेश पत्र संख्या-2574/खात-66/2021-22 दिनांक जनवरी 26, 2022 के अनुपालन में उक्त खसरा नम्बर मध्य उक्त रकबा वन विभाग के नाम हस्तान्तरण की गई |
| | | योग | 188 | 10.783 | | |

हस्ताक्षर अपठित
रा० नि०
गणाई गंगोली

Manish (हस्ताक्षर)
8.3.2022
रा० उ० नि० गणाई

# प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है, कि वन संरक्षण अधिनियम 1980 एवं वन संरक्षण नियमावली 2003 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत जनपद पिथोरागढ़ के विधानसभा क्षेत्र गंगोलीहाट में भाटगाडा फडियाली नायल पम्या मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.60 हे0 वनभूमि का गैरवानिकी कार्यों हेतु अस्थाई खण्ड, लो0नि0वि0 बेरीनाग को प्रत्यावर्तन किया जाना है। उपरोक्त कार्य हेतु वन विभाग को क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु ग्राम काकडा पट्टी गणाई, तहसील गणाई गंगोली के गैर जमीदारी विनाश खतौनी खाता सं0–23 श्रेणी–10(4) बंजर नाकाबिल आबाद के कुल 22 खेतों की 7.20 हे0 सिविल भूमि प्राप्त है। उक्त भूमि राजस्व विभाग के स्वामित्व से वन विभाग के स्वामित्व में कार्यालय जिलाधिकारी पिथौरागढ़ के पत्रांक 2594 / सात–66 / 2021–22 दिनांक 26.08.2022 से हस्तांतरित कर वन विभाग के पक्ष में अमल दरामद दर्ज कर दिया गया है। क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु इसका कब्जा वन विभाग के पक्ष में कर लिया गया है। अधिसूचना संख्या 869-F/638 दिनांक 17.10.1893 तथा उत्तरप्रदेश शासन की पत्र सं0 1506 / 14–2–97–800(II) / 1997 दिनांक 17.03.1997 के अन्तर्गत यह भूमि संरक्षित वन है। इसकी वर्तमान स्थिति संरक्षित वन की है, जिसे पुनः पृथक से संरक्षित वन क्षेत्र घोषित किये जाने की आवश्यकता नहीं है।

वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

प्रभागीय वनाधिकारी,
पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़।

वन क्षेत्राधिकारी
गंगोलीहाट
पिथौरागढ़ वन प्रभाग

उपराजिक
वनकोट अनु०

1·7

# जियो रैफरेन्स मैप :– जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र गंगोलीहाट में भाटगाड़ा से फडियाली नायल पम्या तक मोटर मार्ग का क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल।

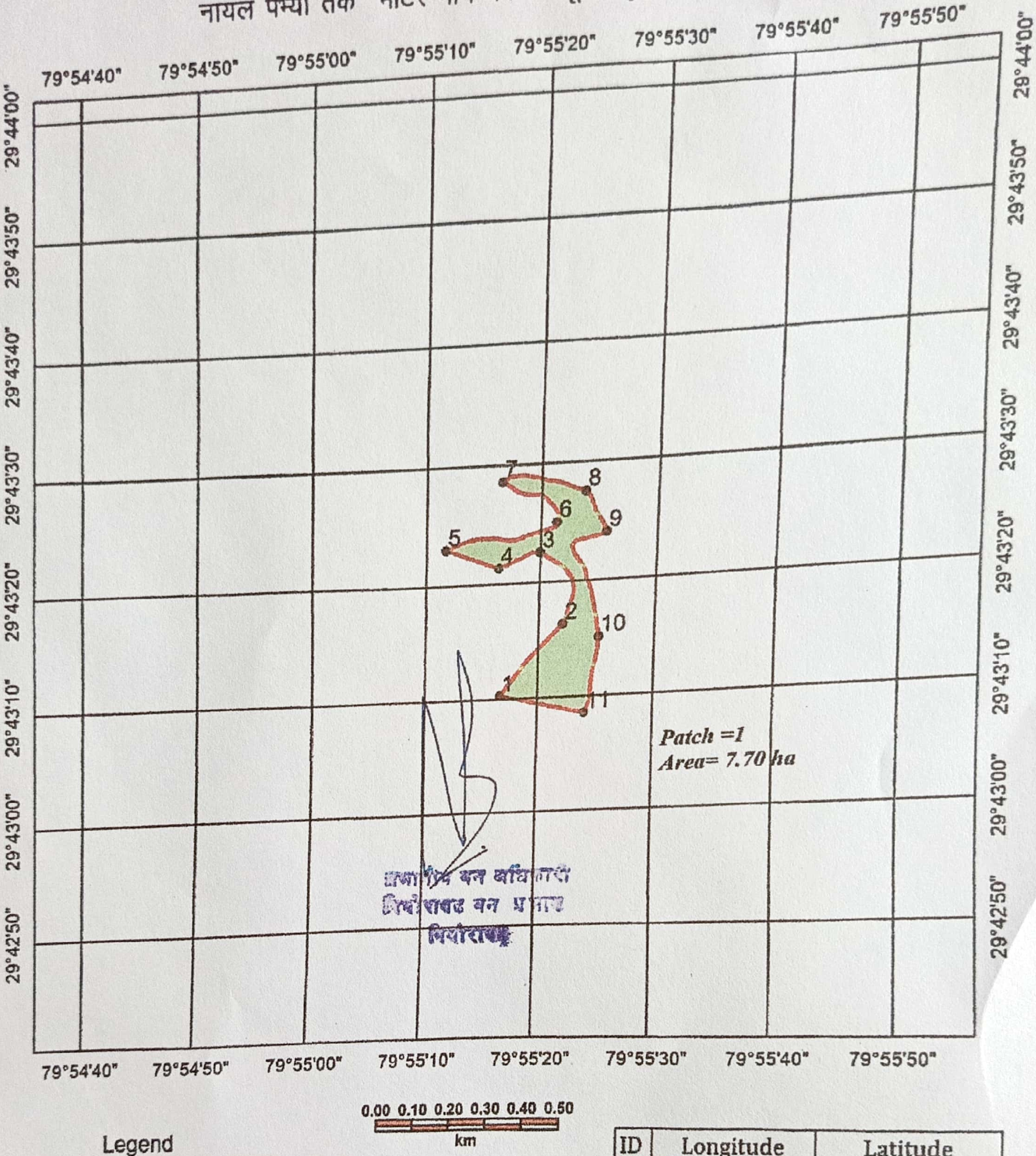


| ID | Longitude | Latitude |
|---|---|---|
| 1 | 79°55'16.66"E | 29°43'10.32"N |
| 2 | 79°55'22.06"E | 29°43'16.36"N |
| 3 | 79°55'19.92"E | 29°43'22.55"N |
| 4 | 79°55'16.38"E | 29°43'21.33"N |
| 5 | 79°55'11.72"E | 29°43'2[illegible].05"N |
| 6 | 79°55'21.30"E | 29°43'25.05"N |
| 7 | 79°55'16.53"E | 29°43'28.58"N |
| 8 | 79°55'23.75"E | 29°43'27.53"N |
| 9 | 79°55'25.62"E | 29°43'24.01"N |
| 10 | 79°55'25.19"E | 29°43'15.12"N |
| 11 | 79°55'24.08"E | 29°43'8.55"N |

प्रभागीय वन अधिकारी
पिथौरागढ़ वन प्रभाग
पिथौरागढ़

राजस्व उप निरीक्षक
क्षेत्र
तहसील-
जनपद- पिथौरागढ़

जिलाधिकारी,
पिथौरागढ़

सहायक अभियन्ता
अ० ख० लो० नि० वि०
बेरीनाग (पिथौरागढ़)

अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड, लो० नि० वि०
बेरीनाग (पिथौरागढ़)

उप जिलाधिकारी

17

डिजिटल मैप :– जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र गंगोलीहाट में माटगाड़ा से फडियाली नायल पम्या तक मोटर मार्ग का क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल।

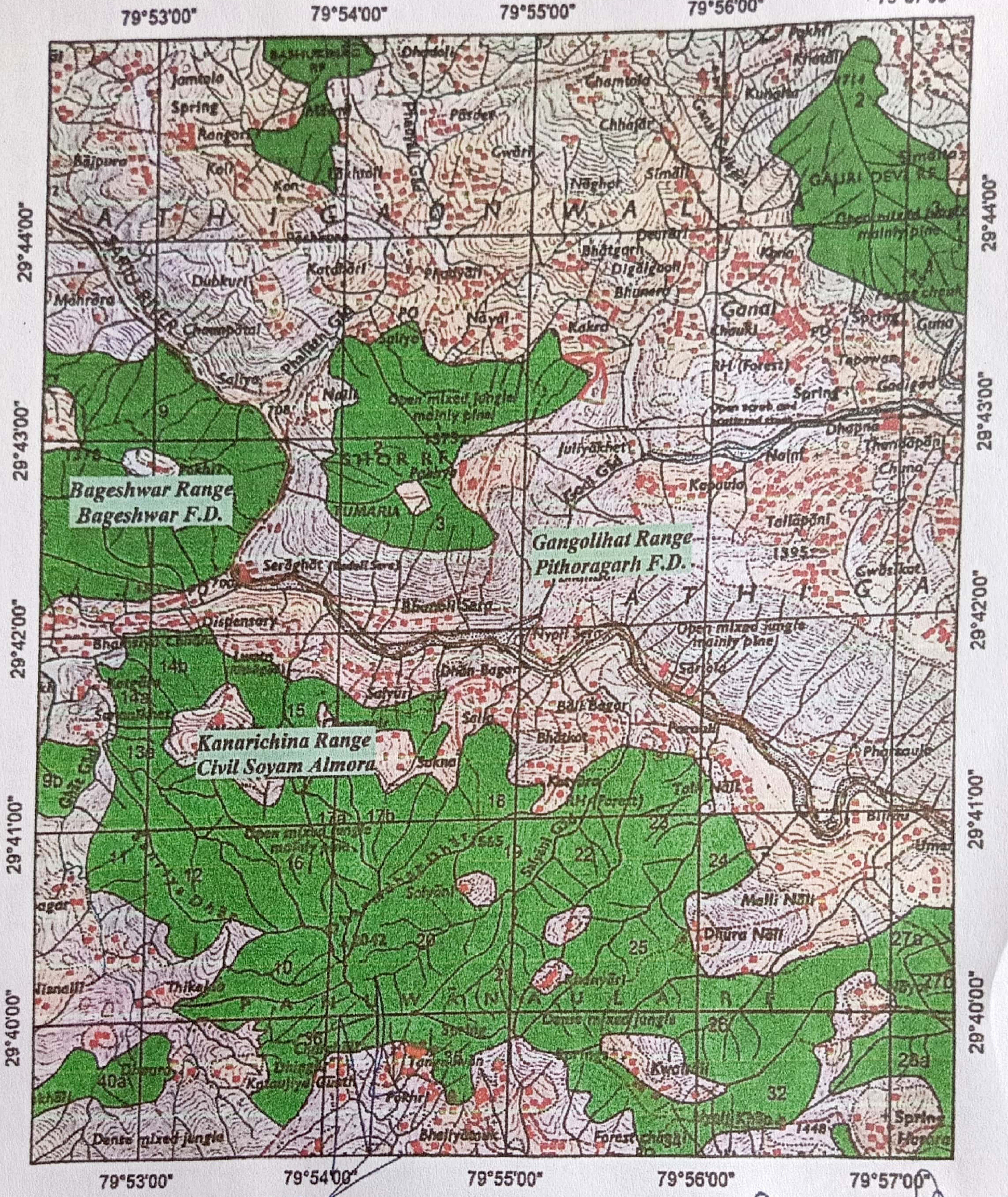


Legend

0.0 0.4 0.8 1.2 1.6 2.0
km

Proposed_Land

Reserve Forest Boundary

Reserve Forest Area

Range_Boundary

Division_Boundary

प्रभागीय वन अधिकारी
पिथौरागढ़ वन प्रभाग
पिथौरागढ़

राजस्व उपनिरीक्षक
तहसील-
जनपद पिथौरागढ़

सहायक अभियन्ता
अ० ख० लो० नि० वि०
बेरीनाग (पिथौरागढ़)

अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड, लो०नि०वि०
बेरीनाग (पिथौरागढ़)

जिलाधिकारी
पिथौरागढ़